संख्या-647/23/4354/41-2023-173(बजट)/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन विभाग,
उ०प्र० शासन ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः: दिनांक 23 सितम्बर, 2023**

विषयः- जनपद उन्नाव की विधान सभा भगवंत नगर स्थित बाल्मीकि आश्रम स्थित मां जानकी कुण्ड मंदिर के सौन्दर्याकरण/पर्यटन विकास की परियोजना का नाम संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4026/6-1-1(1588)/2022-23, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद उन्नाव की विधान सभा भगवंत नगर स्थित बाल्मीकि आश्रम स्थित मां जानकी कुण्ड मंदिर के सौन्दर्चीकरण/पर्यटन विकास की परियोजना का नाम संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-65/2023/5645/001-41-2022-173-बजट-2022 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जनपद उन्नाव की विधान सभा भगवंत नगर स्थित बाल्मीकि आश्रम स्थित मां जानकी कुंड मंदिर के सौन्दर्गीकरण/पर्यटन विकास कार्य हेतु रू० 113.44 लाख जी०एस०टी० (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 40.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में प्रश्नगत प्रायोजना का नाम

जनपद उन्नाव की विधान सभा भगवंत नगर स्थित बाल्मीकि आश्रम स्थित मां जानकी कुंड मंदिर" के स्थान पर "जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र उन्नाव (सदर) स्थित बाल्मीकि आश्रम स्थित मां जानकी कुंड मंदिर" एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 31.01.2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन, लखनऊ/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०. लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।